न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज तृतीय,पूर्वी चम्पारण।

<u>आदेश</u>

स्वत्व वाद संख्या 57/2018
सीआईएस न0 09.18

दिनांकः 11.12.2023 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 05.12.2022 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि मुदई वृद्ध व्यक्ति है। साक्ष्य देने की तैयारी के क्रम में अपने अधिवक्ता से जब वाद पत्र पढ़वाकर सुना तो यह बात सामने आयी कि टंकक के भूल के कारण कुछ शब्द टाइप होना छूट गया है यह कि अर्जी नालिस के पैरा न0 7 के तीसरे पंक्ति में दर्ज शब्द लेकिन के बाद वो शब्द '' चौहदी'' के पहले शब्द **तीन** दर्ज करने का परिमिशन दिया जाए वो उसी पारा के अन्त में हसब जैल वाक्य इस प्रकार से दर्ज करने का परिमिशन दिया जाए '' विदित हो कि उपरोक्त बैनामा में पुरब चौहदी में निज लेख्यधारी के बदले गलती से सिंगासन कुंअर दर्ज हो गया जबकि उपरोक्त बैनामा वाली जमीन के सटे पूरब मनमुदई के पिता मुनेश्वर राय बैनामा दिनांक 26.03.1969 से 16 धुर जमीन खरिद चूके थे। वादी का कथन है कि संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। अतः स्वीकृत करने की कृपा करे।

प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में वादी के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वादी के द्वारा मुकदमे को देर करने के नियत से गलत आशय का आवेदन परिचालित किया गया है। यह कि मरम्मति आवेदन काफी विलंब से आया है और दस्तावेजों में अंकित चौहदी को मरम्मति से हेर फेर किया जाना वादी का आशय है इससे प्रतिवादी को असीम क्षति होगी कि कोई भी दस्तावेज की वैधता उसकी चौहदी से होती है और यदि वादी को चौहदी में सुधार करना है तब उसे रजिस्ट्री आफिस से तितिमा के द्वारा सुधार करना होगा। अतः आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। मामले में वादी के आवेदन और प्रतिवादी के प्रतिउत्तर का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में समस्थ तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा दिया गया आवेदन विवाद्यक के गठित

होने के पश्चात् दिया गया है। मामले में वादी का साक्ष्य प्रारंभ हो चुका है वाद पांच वर्ष पुराना है और वादी के द्वारा जो चौहदी वादपत्र में दी गयी है एवं जो चौहदी वह मामले में परिवर्तित करना चाह रहा है दोनों में अंतर है। इससे वाद की प्रकृति में परिवर्तन होगा। प्रस्तुत मामले में वादी का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह वाद पत्र को बेहतर एवं युक्तियुक्त सावधानी के साथ प्रस्तुत करे परन्तु इस मामले में वादी ऐसा नहीं कर सका है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 में यह वर्णित है कि मामले में वाद पत्र में संशोधन वाद की कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में यद्यपि वादी के द्वारा उचित तत्परता नहीं दिखाई गयी है परन्तु संशोधन को देखने से प्रतीत होता है कि संशोधन औपचारिक प्रकृति का नहीं है अतः वादी का संशोधन आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।